

पट्टा-विलेड को पंजीकृत कराया जायेगा और इस हेतु स्ट. ए. शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

पट्टा-विलेड का निष्पादन सरकारी संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित (संशोधन) नियम-2003 के नियम-14 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की ओर से जिले के द्वारा किया जायेगा।
तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय
(आ. 0. 1. 0. उपाध्याय)
विशेष सचिव।

494(1)/एक-6-10 तददिनांक

तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेषित।
मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन। उद्यान एवं खादय प्रसंस्करण उप विभाग शिक्षा विभाग
उ०प्र० शासन।

आयुक्त एवं सचिव, राजस्थ परिषद उ०प्र० लखनऊ।
आयुक्त मुरादाबाद, मण्डल मुरादाबाद।
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० वगनपुर।
गार्ड फाईल।

भारत
(कृपाल वर्मा)
उप सचिव।
प्रधानाचार्य
राजकीय पोलिटेक्निक
राहबाद (राजपुर)

प्रधानाचार्य
राजकीय पोलिटेक्निक